

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 23-09-2019

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-


क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	4	6	7
1.	60/2014	श्री बी.के. चौधरी उप मुख्य निरीक्षक मुख्यालय, जयपुर	30.4.2021	II/19, गांधीनगर
2.	64/2014	श्री सत्यनारायण संयुक्त निदेशक, उद्यान निदेशालय जयपुर	30.06.2025	II/38, गांधीनगर
3.	66/2014	श्री अजीत जैन सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय, जयपुर	31.7.2026	II/42, गांधीनगर
4.	74/2014	श्री गुरुशरण राव आर.पी.एस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जयपुर	31.07.2029	II/50, गांधीनगर
5.	77/2014	श्री बृज कुमार गुप्ता निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर III/बी/10, बहुमंजिला,	30.6.2023	II/58, एवीएस, फ्लेट्स गांधीनगर
6.	2/2015	सुश्री दीप्ति कछवाहा आर.ए.एस. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।	31.7.2033	एम-06, गांधीनगर
7.	5/2015	श्री दीपक गहलोत खनिज अभियन्ता, आर.आई.ओ., राज्य राजस्व आसूचना, निदेशालय, जयपुर	30.9.2037	एन-16, गांधीनगर
8.	6/2015	डॉ० उर्वशी सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूती रोग जनाना अस्पताल, जयपुर।	31.10.2037	6/5, हीराबाग
9.	9/2015	श्री मिसाराम प्रजापत संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	30.11.2022	एन-24, गांधीनगर
10.	43/2015	श्री सीताराम मीना अधीक्षण अभियन्ता (वादकरण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।	31.7.2023	103 मॉडल टाउन
11.	45/2015	श्रीमती राजकुमारी हाडा कार्यक्रम निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	31.12.2027	105, मॉडल टाउन मालवीय नगर
12.	46/2015	श्री धनपाल खंगार संयुक्त निदेशक आयोजना (वित्त) विभाग जयपुर।	31.1.2044	203, मॉडल टाउन मालवीय नगर
13.	47/2015	डॉ० (श्रीमती) संगीता मीना सहायक आचार्य, (बॉयोकेमिस्ट्री) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.1.2027	204, मॉडल टाउन मालवीय नगर
14.	58/2015	डॉ० कल्पना मंगल सहायक आचार्य (पैथोलॉजी विभाग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय,	31.01.2029	205 मॉडल टाउन मालवीय नगर
15.	60/2015	श्री शंकर लाल पालीवाल उप निदेशक (उद्योग) कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.7.2027	304, मॉडल टाउन मालवीय नगर
16.	61/2015	श्री मुकेश चंद भाटी अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर	31.1.2027	305, मॉडल टाउन मालवीय नगर

17.	2/2016	श्री सीताराम मीना वरिष्ठ लेखाधिकारी वित्त (अंकेक्षण) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2020	402, मॉडल टाउन मालवीय नगर
18.	5/2016	श्री कृष्ण कन्हैया मीना मुख्य लेखाधिकारी सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग जयपुर	31.12.2035	403, मॉडल टाउन मालवीय नगर
19.	11/2016	श्रीमती शकुन्तला चौधरी उप निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डेमोग्राफर) निदेशक (प. क.) राज0, जयपुर	31.7.2045	603, मॉडल टाउन मालवीय नगर
20.	17/2016	डॉ० रेखा व्यास चिकित्सा अधिकारी गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2035	605, मॉडल टाउन मालवीय नगर
21.	27/2016	श्री पीयूष दीक्षित आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस, जयपुर आयोजना सुदृढीकरण एवं वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर	31.7.2028	701, मॉडल टाउन, मालवीय नगर
22.	30/2016	डॉ० माया हाडा सहायक आचार्य नेत्र रोग विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.7.2046	702, मॉडल टाउन मालवीय नगर
23.	32/2016	श्री राज कुमार अतिरिक्त कोषाधिकारी (वित्त) कोष कार्यालय, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।	31.7.2045	704 मॉडल टाउन, मालवीय नगर
24.	62/2016	डॉ० दीक्षा मेहता सहायक आचार्य (जनरल सर्जरी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.12.2046	705 मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 5 एवं क्रम संख्या 10 से क्रम संख्या 24 तक अंकित समस्त आवंटि से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।

3. सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय / महाविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. निदेशक उद्यान निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. निदेशक/आयुक्त सिंचित विकास क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. पुलिस अधीक्षक, यातायात जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. आयुक्त, कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. निदेशक राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. मुख्य अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
16. निदेशक महिला आधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. निदेशक आयोजना विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. मुख्य निरीक्षक, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
21. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
24. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
25. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
26. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
27. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
29. रक्षित पत्रावली।


 23/9/19
 उप शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर